न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 07/2018

अनवान

1. औमप्रकाश पि0 मु0 पातो बेवा सहीराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।

प्रार्थी.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

अप्रार्थी

अधिकारी (राजस्व)

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : प्रार्थी

निर्णय **दिनांक : 27.06.2018**

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि रोही मोजा अमरपुरा बारानी के खाता सं0 38/56 की कुल 18.265 है0 कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वर्तमान रिकार्ड से प्रार्थी की वसीयत औमप्रकाश पि0 मु0 पातो दर्ज है जबकि प्रार्थी की माता का निधन होने के पश्चात विरासत इंतकाल दर्ज करते समय इंतकाल रजिस्टर में औमप्रकाश पि0 मु0 पातो बेवा सहीराम दर्ज हुआ था। वर्तमान रिकार्ड में पिता का नाम छूट गया है जिससे प्रार्थी को खाता विभाजन करवाने, ऋण लेने आदि में कठिनाई हो रही है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम जमाबन्दी में दर्ज कराया जावे।

तहसीलदार भादरा की ओर से राजपैरोकार का जबाव पेश हुआ जिससे इंतकाल दर्ज करते समय औमप्रकाश पि0 मु0 पातो बेवा सहीराम दर्ज हुआ था। उसके पश्चात नई जमाबंदी दर्ज करते समय सहवन से सहीराम का अंकन छूट गया था। दुरूस्ती किए जाने हेतु अभिशंषा की गई है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी रोही मोजा अमरपुरा बारानी के खाता संख्या 38/46 सम्वत 2072 में प्रार्थी का नाम औमप्रकाश पि0 मु0 पातो दर्ज है जबकि इंतकाल संख्या 27 में औमप्रकाश पि0 मु0 पातो वेबा सहीराम दर्ज रिकार्ड है तथा राज सरकार ने अपने जबाव में दुरूस्ती किया जाना उचित बताया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि नई जामबंदी तैयार करते समय प्रार्थी के पिता का नाम छूट गया है।

अतः प्रार्थना पत्र 136 एलआरए का स्वीकार किया जाता है तथा रोही मोजा चक अमरपुरा बारानी के खाता संख्या 38/46 जमाबंदी सम्वत 2072 में औमप्रकाश पि0 मु0 पातो के स्थान पर औमप्रकाश पि0 मु0 पातो वेबा सहीराम दुरूस्त किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को शुद्ध किया जावे। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **27.06.2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राज.) भादरा, जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़